मारवाड विवाह-निधि-प्रशासन अधिनियम, 1961 [1961 का अधिनियम सं. 18]

[राज्य पाल की अनुमति तारीख 30 मई, 1961 को प्राप्त हुई।]

मारवाड़ विवाह-निधि के प्रशासन, विनियमन, प्रबंध, संक्रिया तथा उपयोजन के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में राजस्थान विधान मंडल यह अधिनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम मारवाड़ विवाह-निधि-प्रशासन अधिनियम, 1961 है।

2. परिभाषाएं.- जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, -

(i) "कलेक्टर" से राजस्थान राज्य में जोधपुर जिले का कलेक्टर अभिप्रेत है; तथा

(ii) "मारवाड-निधि" से भूतपूर्व जोधपुर रियासत की स्टेट कौंसिल के रिजोल्यूशन सं. 19 तारीख 17 दिसम्बर, 1926 के द्वारा तथा अनुसरण में स्थापित कोर्ट ऑफ वार्डस तथा हैसियत मैरिज फंड अभिप्रेत है, जिसके द्वारा जागीरदार्स एनकम्बर्ड एस्टेट्स एक्ट, 1922 की धारा 19 की उप-धारा के खंड (घ) का निरसन तथा कोर्ट ऑफ वार्डस तथा हैसियत मेरिज फंड रूल्स का अधिनियमन किया गया था ।

3. विवाह-निधि का निहित होना तथा उसका प्रशासन.- (1) विवाह इस अधिनियम में विनिदिष्ट प्रयोजन के लिये तथा उसके उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सरकार में निहित होगी।

(2) विवाह-निधि का प्रशासन, राज्य सरकार के निदेश तथा अंतिम नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये, कलेक्टर में निहित होगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार उसका प्रबन्ध तथा प्रचालन करेगा।

(3) उप-धारा (2) के प्रयोजन के लिये, कलेक्टर, राजस्थान राज्य में जोधपुर जिले के कलेक्टर के नाम से, शाश्वत उत्तराधिकारी रखने वाला एक मात्र निगम होगा। उसे संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा।

(4) कलेक्टर विवाह-निधि का लेखा ऐसे प्ररूप में रखवायेगा तथा चालू रखवायेगा जो विहित किया जाय और उक्त लेखाओं की वार्षिक परीक्षा विहित रीति से की जायेगी ।

(5) कलेक्टर, राज्य सरकार की मंजूरी से, ऐसे कर्मचारीवृन्द नियोजित कर सकेगा जो वह विवाह-निधि के सम्यक् प्रशासन तथा समुचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे और उक्त प्रशासन तथा प्रबन्ध और उक्त कर्मचारीवृन्द की उपलब्धियों के भुगतान पर किया गया व्यय

उक्त विवाह-निधि की धनराशि पर, अन्य समस्त दावों की तुलना में, प्राथमिकता रखते हुये, प्रभारित होगा।

4. धन, जो विवाह-निधि के निमित्त देय हो, सरकार को देय धन समझा जायेगा.-

(1) ऐसा समस्त धन, जो किसी भी कारण से विवाह-निधि के निमित्त देय हो, समस्त प्रयोजनों के लिये, सदैव राज्य सरकार को देय धन समझा जायेगा और तदनुसार उसका लेखा-जोखा रखा जायेगा।

(2) कलेक्टर ऐसे धन को वाद द्वारा या अन्यथा वसूल करने को लिये शीघ्र कार्यवाही करेगा मानो वे सरकारी देय राशियां हों और ऐसी वसूलियां करने के लिये अपेक्षित समस्त धन-राशियों का भुगतान विवाह निधि में से किया जायेगा ।

5. विवाह-निधि का उपयोजन.- (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विवाह-निधि के धन को न तो व्यय किया जायेगा और न ऋण के रूप में अथवा अन्यथा न दिया ही जायेगा।

(2) कलेक्टर, राज्य सरकार के अनमोदन से, धारा 3 की उप-धारा (5) तथा धारा 4 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विवाह-निधि में से धन व्यय कर सकेगा।

(3) कलेक्टर, राज्य सरकार की मंजूरी से, विवाह-निधि के धन का ऐसे शैक्षिक तथा अन्य पूर्व प्रयोजनों के लिये उतनी धन राशियों तक, जो विहित की जायें अथवा जो प्रत्येक दशा में विनिर्दिष्ट की जायें, उपयोजन तथा विनियोजन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- पद "पूर्त प्रयोजनों" का वही अर्थ होगा जो पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में है।

(4) एक सलाहकार समिति गठित की जायेगी जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित एक व्यक्ति संयोजक के रूप में तथा चार व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार भूतपूर्व जोधपुर रियासत के भूतपूर्व जागीरदारों में से नियुक्त करेगी, सदस्य के रूप में होंगे।

(5) सलाहाकार समिति की बैठकें, जब-जब आवश्यक हो, स्वेच्छा से अथवा कलेक्टर के बुलाने पर. होगी जो कलेस्टर को विवाह निधि के धन के उपयोजन तथा विनियोजन तथा उक्त निधि के ऐसे धन की, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय निजी ऋणों में अथवा अन्यथा विनिहित हो, वसूली करने के बारे में सलाह देने के लिये जोधपुर में होगी:

परन्तु कलेक्टर द्वारा विवाह-निधि के धन का उक्त रुपेण उपयोजन या विनियोजन, उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार के सिवाय किया जायेगा अन्यथा नहीं।

6. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों तथा उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष चौदह दिन की कालावधि के लिये उस समय रखा जाएगा

जब वह सत्त्र में हो। यह अवधि एक सत्त्र में या दो क्रमवर्ती सत्त्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्त्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्त्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने का विनिश्चय करे तो तत्पश्चात् वह नियम ऐसे परिवर्तत रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा विनिश्चय कर वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह नियम निष्प्रभाव हो जायेगा; किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उक्त नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

7. निरसन.- भूतपूर्व जोधपुर रियासत की स्टेट कौंसिल के रिजोल्यूशन संख्या 19, दिनांक 17 दिसम्बर, 1926 द्वारा अधिनियमित कोर्ट ऑफ वार्डस एण्ड हैसियत मेरेज फंड रूल्स, 1926 का इसके द्वारा निरसन किया जाता है किन्तु, जहां तक संभव हो, इस रूप में नहीं कि इससे उनकी पूर्व क्रियान्विति पर हानिकर प्रभाव पड़े।

राज्यपाल के नाम और आज्ञा से,

गोपाल कृष्ण शर्मा,
शासन सचिव ।